नम्बर व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार 10/01/25 को पेश हो। 3/1/2025	
10/01/25	पत्रावली आवेदन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 प्रस्तुत हुई। वादी (प्रतिवादी 1) द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत वादी O7R11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा वाद में वाद कारण का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वादी द्वारा पूर्व में भी एक वाद कुलदीप, हेमाबाई बनाम सत्यनारायण वगैरह इस न्यायालय में वास्ते बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,188,53 RTAct प्रस्तुत किया हुआ है, अतः वाद बहुलता रोकने हेतु वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। साथ ही वादी (प्रतिवादी-1) द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद पूर्णतया औचित्यहीन है, क्योंकि बंटवारे के वाद में पति के जीवित रहते एवं उससे विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करवाए बिना ही पति की सम्पत्ति में	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	बँटवारा करवाये जाने का औचित्य पत्नी का निहित नहीं है। अतः वादी वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। प्रतिवादी (वादीगण) द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी ① वादीगण के पिता एवं पति है, तथा उनके द्वारा भूमि का बेचान करने पर आपत्ति होने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी (वादीगण) द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि विधि की अज्ञानता से पूर्व में प्रस्तुत वाद के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी (वादीगण) द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि यदि वादीगण द्वारा पूर्व में भी कोई वाद प्रस्तुत किया गया है तो उसके लिए विधि में प्रावधान है कि यदि समान पक्षकार, समान विषयवस्तु के दो वाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो अन्तर्गत धारा 10 पश्चात् वाद की कार्यवाही को स्थगित की जाकर दोनों वादों को एक साथ

उपखण्ड अधिकारी

को...

...म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
संचालित किया जा सकता है। प्रतिवादी (वादीगण) द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि हस्तगत आराजी प्रतिवादी (1) की स्वअर्जित भूमि नहीं है। पैतृक भूमि होने से वादीगण का प्रारम्भ से ही हक व अधिकार निहित है। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। वादी (प्रतिवादी 1) का कथन है कि समान प्रकृति का वाद इसी न्यायालय में लंबित है अतः हस्तगत वाद खारिज किया जावे। वहीं प्रतिवादी (वादीगण) का कथन है कि उक्त परिस्थिति में धारा 10 CPC के तहत हस्तगत वाद को पूर्व लम्बित वाद के साथ संचालित किया जा सकता है O7 R11 CPC के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। हमने धारा 10 CPC से सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 10 CPC अनुसार - यह धारा किसी मुकदमे को शुरू करने पर रोक नहीं लगाती बल्कि केवल मुकदमा चलाने पर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *
उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
	रोक लगाती है। इसीलिए वाद को न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। उक्त परिस्थितियों में जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अनुरोध किया गया है कि पूर्व लम्बित वाद के क्रम में हस्तगत वाद खारिज किया जावे तथा वादीगण द्वारा उल्लेखित किया गया है कि पूर्व लम्बित वाद के क्रम में धारा 10 CPC के तहत हस्तगत वाद पूर्व लम्बित वाद के साथ संचालित किया जावे, हमारे विनम्र मत में धारा 10 CPC के उक्त निर्देशों के तहत हस्तगत वाद को पूर्व लम्बित वाद के साथ संचालित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी (प्रतिवादी क्रमांक 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत Order 7 Rule 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

...क्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
...जाता है। तथा धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्देशों के तहत हस्तगत वाद पूर्व लम्बित वाद के साथ संयोजित किया जाता है। (हस्ताक्षर) 10/11/25 उपखण्ड अधिकारी को. (मुहर: उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान)	